



Online Public Data Entry Summary

UKPDE2024090300473

DISTRICT NAME : दिहरी गढ़वाल SRO : जाबणीघाट

उत्तराखण्ड शासन

UKPDE2024090300473 From 16 Feb 2023

24-Sep-2024

12:16:32

Appointment Date: 24 Sep 2024

Appointment Time: 12:30 p.m to 01:30 p.m

Appointment TokenNo:1

Deed/Article Type : Lease

Sub-Deed/Sub-Article : Lease(Not Exceeding 30 years)

Village/Location For Index : खान्दी -B 4. जाबणीघाट-गराकोट मोटर मार्ग

Village/Location/Road Selected for Circle RateList : खान्दी -B 4. जाबणीघाट-गराकोट मोटर मार्ग

Khewat :

Khatoni : 00053

Khasra : 651

House/Flat No:

Area : 530.0000 वर्ग मीटर

Latitude :

Longitude : 0.0000000000

Land Value : 0.00

Construction Value : 0.00

Transaction Value : 0.00

Market Value : 0.00

Advance : 0.00

Lease Period : 27.00

Avg. Rent : 1,012.34

Stamp Duty : 1,500.00

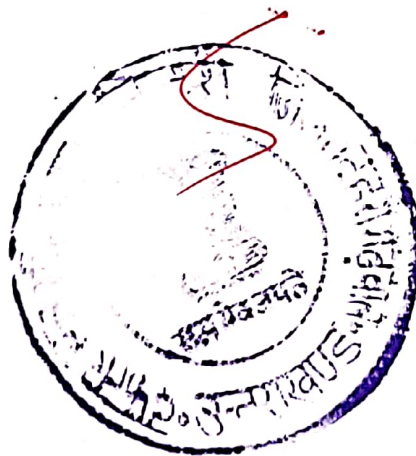
Regn Fees : 740.00

Pasting Fees : 100

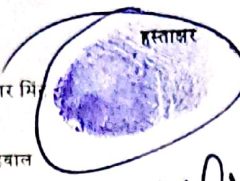
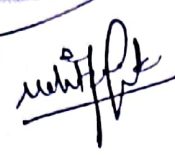
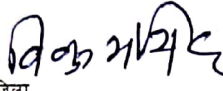
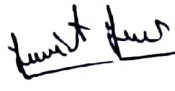
Page : 28

व्यवसायिक निर्माण का विवरण					
क्र.सं	निर्माण का प्रकार	क्षेत्रफल			
आवासीय निर्माण का विवरण					
क्र सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	ह्रास वर्ष	छात्र
निबंधक शुल्क का विवरण					
क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक		
1	Cash	740.00			
स्टाम्प शुल्क का विवरण					
क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टांप विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	1,500.00	-	24-Sep-2024	

Handwritten signature and stamp



पक्षकारों का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विजेत्रा / प्रथम पक्ष	श्रीमती दिव्या देवी पत्नी श्री होशियार मि निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खाम, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड Email :pancham588@gmail.com		House wife		8439229036	ADHAAR : 297600881422
केता / द्वितीय पक्ष	श्री उदित कौशिक पुत्र श्री आदेश कौशिक निवासी ११०/१-सी, मजय गौधी कॉलोनी, नियर के०एल० पॉलीटेक्निक, मनेमपुर राजपुताना, हरिद्वार जिला हरिद्वार Email .udil.kaushik.5680@gmail.com		Self employed		9068486589	ADHAAR : 643645309656
गवाह	श्री बिक्रम सिंह पुत्र श्री जान सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खाम, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड		Self employed		9897501756	ADHAAR : 460529151389
गवाह	श्री सुमित सैनी पुत्र श्री सतीश कुमार निवासी ८५, निजामपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड		Self employed		9675988009	ADHAAR : 278921295430

Deed Writer /Advocate Name :D.Dumoga Adv.



भारत सरकार
Government of India

डिल्ला देवी
Dilla Devi
जन्म तिथि/ DOB: 23/07/1951
महिला / FEMALE

2976 0088 1422

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
W/O Hoshiyar Singh, Gram
Khandi Post Jakhnidhar, Khandi
Maya Kafali, Tehri Garhwal,
Uttarakhand - 249123

Address:
W/O Hoshiyar Singh, Gram
Khandi Post Jakhnidhar, Khandi
Maya Kafali, Tehri Garhwal,
Uttarakhand - 249123

2976 0088 1422

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

उदित कौशिक
UDIT KAUSHIK
पिता: आदेश कौशिक
Father: ADESH KAUSHIK
जन्म तिथि / DOB: 18/04/2000
पुरुष / Male

6436 4530 9656

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: 110/1 - सी, सजय गाँधी
कालोनी, नियर केएल पोलिटेक्नीक,
रूडकी, रुडकी, रूडकी, हरिद्वार,
उत्तराखण्ड, 247667

Address: 110/1 C, SANJAY GANDHI
COLONY, NEAR KL POLYTECHNIC,
roorkee, Roorkee, Salempur Rajputana,
Haridwar, Uttarakhand, 247667

6436 4530 9656

1947 1800 300 1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

विक्रम सिंह
VIKRAM SINGH
जन्म तिथि / DOB: 15/05/1983
पुरुष / Male

4605 2915 1389

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: जाखनीधार, खान्दी मय मरोडा, खंडी माया
काफाली, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड, 249123

Address: JAKHNI DHAR, khandi may
maroda, Khandi Maya Kafali, Tehri
Garhwal, Uttarakhand, 249123

4605 2915 1389

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

सुमित सैनी
Sumit Saini
जन्म तिथि/DOB: 06/07/1998
पुरुष/ MALE

2789 2129 5430
VID: 9170 5987 1646 0133

मेरा आधार, मेरी पहचान

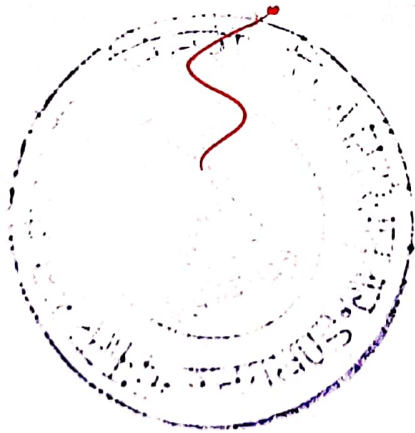
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
S/O सतीश कुमार, 85, निजामपुर, निजामपुर, हरिद्वार,
उत्तराखण्ड - 247670

Address:
S/O Sabesh Kumar, 85, nizampur, Nizampur,
Haridwar,
Uttarakhand - 247670

2789 2129 5430
VID: 9170 5987 1646 0133

1947 help@uidai.gov.in www.uidai.gov.in





कार्यालय: उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)
तहसील भवन, नरेन्द्रनगर, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
फोन नं० - 01378-227260
email- ureda.tehri@gmail.com

पत्रांक संख्या 240/उरेडा/मु.गं. सौर स्व0यो/ 2023-24 दिनांक 19 जुलाई, 2024

परियोजना आवंटन पत्र

सेवा में,

श्री उदित कौशिक
110/1-सी, संजय गांधी कलोनी नेयर
के०एल०पोलिटैकनिक सकिमपुर, हरिद्वार।

विषय:- "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत 200 कि०वा० क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट का आवंटन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आपके online आवेदन के निर्धारित शर्तों के अनुसार परीक्षणोपरान्त उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत 200 कि०वा० क्षमता का सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लान्ट आपको निम्न शर्तों के आधार पर आवंटित किया जाता है।

क्रम सं०	मद	विवरण
01.	पंजीकरण संख्या-	3145
02.	संयंत्र की क्षमता	200 कि०वा०
02.	निर्धारित विद्युत विक्रय दर	परियोजना की कमीशनिंग की तिथि के सापेक्ष मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर (वर्तमान में ₹0 4.64 प्रति यूनिट)
03.	प्रस्तावित स्थापना स्थल (इस आवंटन पत्र के सापेक्ष परियोजना की स्थापना अन्य जनपद में किया जाना अनुमन्य नहीं है)	ग्राम खान्दी, जाखणीधार, टिहरी गढ़वाल।
04.	संयंत्र की कमीशनिंग हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि	परियोजना आवंटन तिथि से 12 माह के अन्तर्गत
05.	संयंत्र से उत्पादित विद्युत के क्रय की अवधि	संयंत्र की कमीशनिंग तिथि से 25 वर्षों तक

01. योजना हेतु शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 697/1-1/2020-03/02/2020 दिनांक 22 सितम्बर 2020, संशोधित शासनादेश संख्या 72/1-1/2021/03/02/2020 TC दिनांक 25 जनवरी, 2021 एवं 385/1-1/2023-03/02/2020 दिनांक 13 मार्च, 2023 एवं पत्र संख्या- 1058/1-1/2023-03/02/2020(F-File No.30740 दिनांक 06 जुलाई, 2023 से आवंटनी भलीभँति भिन्न है।

02. उक्त निर्गत परियोजना आवंटन पत्र (LoA) की तिथि से आवंटनी द्वारा 30 दिवस के भीतर Contract Performance Guarantee (50 कि०वा० हेतु ₹0 25,000/-, 100 कि०वा० हेतु ₹0 50,000/- एवं 200 कि०वा० हेतु ₹0 1,00,000/-) उरेडा परियोजना कार्यालय पर FD/CDR/TDR के रूप में जिसकी वैधता न्यूनतम 2 वर्ष हो, जमा की जानी होगी। उक्तानुसार CPG 30 दिवस में जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। परियोजना स्थापना एवं कमीशनिंग परियोजना आवंटन पत्र (LoA) से 12 माह के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य होगी। उक्तानुसार स्थापना 12 माह के अन्तर्गत न होने पर आवंटन निरस्त कर CPG जब्त कर ली जाएगी।



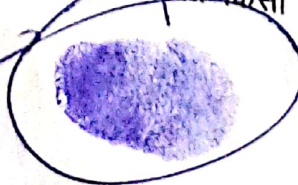
03. कृपया इस आवंटन पत्र की प्रति के 10 दिवस के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय में सम्पर्क कर पावर परचेज एग्रीमेन्ट (PPA) हस्ताक्षरित करें।
04. पावर परचेज एग्रीमेन्ट तथा आवंटित सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु सूचीबद्ध फर्म को जारी कार्यादेश/कार्यादेश से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति उरेडा कार्यालय को भी अभिलेखार्थ उपलब्ध कराये।
05. सोलर पावर प्लान्ट के ग्रिड संयोजन, विद्युत उत्पादन, स्थापना/कमीशनिंग आदि से सम्बन्धित तकनीकी मानक मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा निर्धारित रेग्यूलेशन के अनुसार पूर्ण कराये जाने अनिवार्य होंगे।
06. मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा स्थापना/कमीशनिंग हेतु निम्नवत शर्तें/मानक निर्धारित हैं, जो कि निम्नवत हैं:-

- (a) Installation of energy meter as certified by the concerned Executive Engineer of the distribution licensee.
- (b) Project completion report as verified by UREDA, the State nodal agency.
- (c) Issuance of Clearance Certificate by the Electrical Inspector.
- (d) Further, such generator has to demonstrate minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW at the time of inspection for initial commissioning."

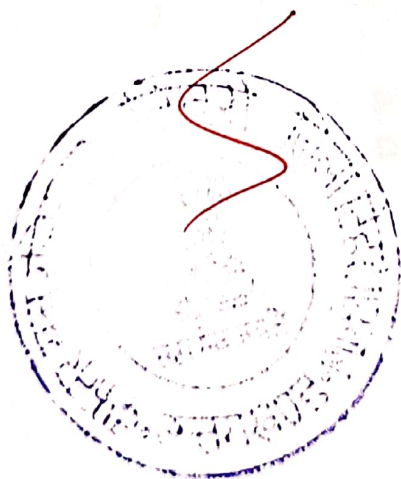
Provided that minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW is demonstrated within Three months from the date of first injection of power into licensee's grid on compliance of aforesaid pre-requisites.

07. आवेदक द्वारा सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एम०एन०आर०ई०) द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डों/के अनुरूप पूर्ण करायी जानी अनिवार्य होगी।
08. सम्बन्धित आवंटी/विकासकर्ता द्वारा Commercial Operation Date (COD) की तिथि अनुसार ही मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर विद्युत क्रय यू०पी०सी०एल० द्वारा किया जाएगा।
09. संयंत्र की स्थापना के उपरान्त दैवीय आपदा अथवा ऐसे अन्य कारणों से सम्भावित क्षतिपूर्ति हेतु आवंटी द्वारा संयंत्र का बीमा अपने व्यय पर स्वयं कराया जाना होगा।
10. आवंटी द्वारा प्रभावी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत केवल आवंटी द्वारा प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप में इस योजना के अन्तर्गत स्थापना अनुमन्य नहीं होगी।
11. इस योजना में 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जाना है, यदि बिना उरेडा अभिकरण के किसी भी समय एक ही परिवार को दो संयंत्र आवंटन का तथ्य गलत पाया जाता है तो उरेडा द्वारा आवंटन को निरस्त कर जमा सिक्यूरिटी (CPG) जब्त कर ली जायेगी।
12. परियोजना की कमीशनिंग (सी०ओ०डी०) से परियोजना अवधि (25 वर्षों) तक, स्थापित सोलर पावर प्लान्ट का स्वामित्व परिवार के अन्य पात्र सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य को हस्तान्तरित किया जाना मान्य नहीं होगा।

[Handwritten signature]



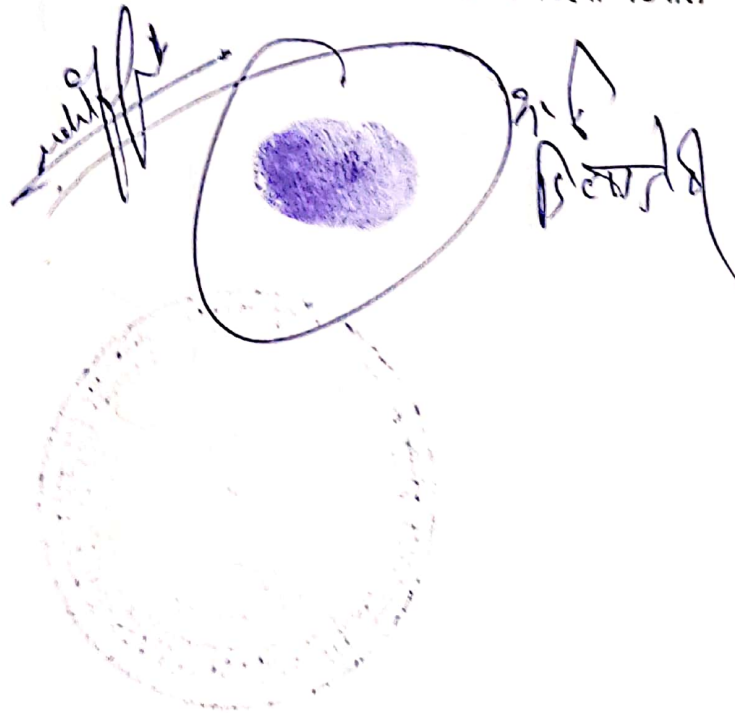
[Handwritten signature]



13. स्पष्ट करना है कि उरेडा की भूमिका मात्र सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए आवंटित भूमि प्रदान करना है। उरेडा इस योजना के लिए धन की व्यवस्था करने या जारी करने में सम्मिलित नहीं है। किसी भी स्तर पर आवंटित एवं फर्म के मध्य उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार (अनुबंध/ करार, कार्यदेश, भुगतान, वाद-विवाद आदि) के विवाद के मामले में उरेडा वित्तीय, कानूनी या किसी अन्य प्रकार से उत्तरदायी/ जिम्मेदार नहीं होगा।
14. स्पष्ट करना है कि आवंटित सौर पावर प्लान्ट हेतु उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी MSME Policy-2023 के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहन एवं लाभ आदि प्राप्त करने हेतु परियोजना आवंटन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त <https://investuttarakhand.uk.gov.in> पर In-Principal approval (Common application form) प्राप्त करना आवश्यक होगा। अन्यथा की दशा में MSME Policy-2023 में निहित प्रोत्साहन एवं लाभ प्राप्त नहीं होंगे।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तों का अनुपालन कराते हुये "मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत सौर पावर प्लान्ट संयंत्र स्थापित कराने का कष्ट करें।

वरिष्ठ परियोजना अधिकारी
उरेडा-टिहरी गढ़वाल







सत्यमेव जयते



IN-UK46840451835433W

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

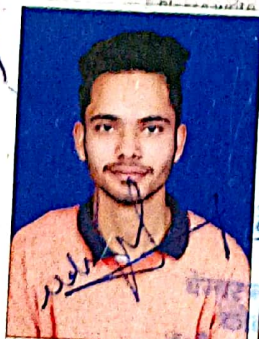
21,500

e-Stamp

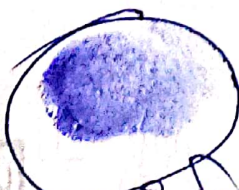
Certificate No. : IN-UK46840451835433W
 Certificate Issued Date : 24-Sep-2024 12:14 PM
 Account Reference : NONACC (SV)/ uk1229604/ TEHRI/ UK-TG
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UKUK122960400655008349206W
 Purchased by : UDIT KAUSHIK
 Description of Document : Article 35 Lease
 Property Description : VILL-KHANDI PATTI-KHAS TEHRI GARHWAL
 Consideration Price (Rs.) : 0
 (Zero)
 First Party : SMT DILLA DEVI
 Second Party : UDIT KAUSHIK
 Stamp Duty Paid By : UDIT KAUSHIK
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 1,500
 (One Thousand Five Hundred only)



दुर्गा प्रसाद विनयाल
 स्टाम्प विक्रेता
 कोर्ट कम्पाउण्ड, नई दिल्ली



देवेंद्र सिंह दुग्गोया
 एडवोकेट
 0-05, मो. -9117076539
 कोर्ट कम्पाउण्ड नई दिल्ली
 11-01-2234/04, UP-1149/92



HE 0025383298

Statutory Alert

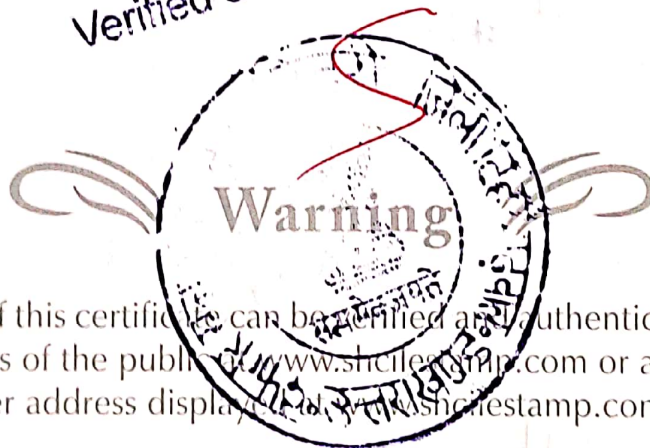
1. The authenticity of the Stamp Certificate can be verified at 'www.shikastamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India.
2. Any discrepancy in the details of the Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The onus of checking the legitimacy is on the user of the certificate.
4. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



Scanned with OKEN Scanner

SHCIL

Verified & Locked



"The contents of this certificate can be verified and authenticated world-wide by any members of the public at www.shcilestamp.com or at any Authorised collection center address displayed at www.shcilestamp.com free of cost."

"Any alteration to this certificate renders it invalid. Use of an altered certificate without all the security features could constitute a criminal offence."

"This document contains security features like coloured background with Lacey Geometric Flexible patterns and Subtle Logo images, Complex ornamental design borders, Anti - copy text, the appearance of micro printing, artificial watermarks and other Overt and Covert features."



829580300



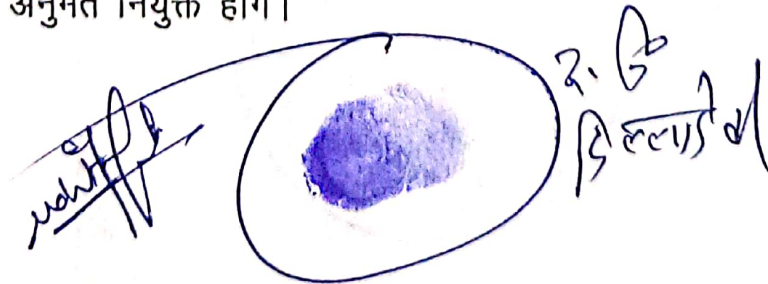
पट्टा विलेख Lease Deed

यह पट्टा विलेख (इसके बाद पट्टा या पट्टा विलेख कहा जायेगा) सितम्बर 2024 माह के 24 वें दिन उप निबन्धक कार्यालय नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में पक्षकारान के बीच निम्न प्रकार निष्पादित किया जायेगा।

श्रीमती दिल्ला देवी पत्नी श्री होशियार सिंह (Adhar no. 297600881422) (Mob-8439229036), निवासी-ग्राम-खांदी, पट्टी खास, तहसील जाखणीघार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड इसके बाद इन्हे पट्टेदाता/लीज दाता/प्रथम पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे।

एवं

उदित कौशिक पुत्र श्री आदेश कौशिक, निवासी-110/1-सी, संजय गांधी कॉलोनी, नियर के0एल0 पॉलिटेक्निक, रुड़की, सलेमपुर, राजपुताना, हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड (Adhar No-643645309656) (Mob-9068486589)-जिसे इसके बाद इन्हे पट्टेदार/लीज प्राप्त कर्ता/द्वितीय पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे।



बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 389 वर्ष 2024

Lease	नजराना रु0 : 0.00			
Lease(Not exceeding 30 years)	औसत वार्षिक			
	किराया रु0 : 0.00			
रजिस्ट्रेशन शुल्क	प्रतिलिपि शुल्क	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क	कुल योग	शब्द लगभग
रु0 740.00	रु0 100.00	रु0 280.00	रु0 1120.00	1000

श्री उदित कौशिक पुत्र श्री आदेश कौशिक निवासी ११०/१-सी, संजय गाँधी कॉलोनी, नियर के०एल० पॉलीटेक्निक, सलेमपुर राजपुताना, हरिद्वार जिला हरिद्वार ने आज दिनांक 24 Sep 2024 समय मध्य 1PM व 2PM को कार्यालय उपनिबन्धक जाखणीधार मे प्रस्तुत किया।



उदित कौशिक

[Handwritten signature]

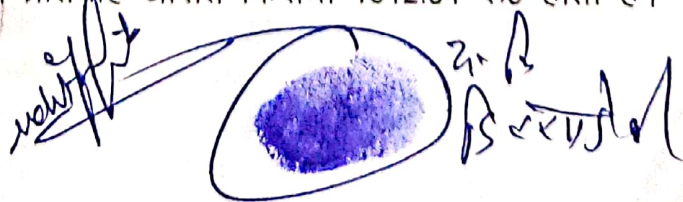
[Handwritten signature]
उपनिबन्धक
जाखणीधार
24-Sep-2024

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्रीमती दिल्ला देवी पत्नी श्री होशियार सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड। ने नजराना मुबलिंग रु0 0.00 प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया। इस लेखपत्र का निष्पादन द्वितीय पक्ष श्री उदित कौशिक पुत्र श्री आदेश कौशिक निवासी ११०/१-सी, संजय गाँधी कॉलोनी, नियर के०एल० पॉलीटेक्निक, सलेमपुर राजपुताना, हरिद्वार जिला हरिद्वार। ने भी स्वीकार किया। जिनकी पहचान श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड तथा श्री सुमित सैनी पुत्र श्री सतीश कुमार निवासी ८५, निजामपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड ने की।



[Handwritten signature]
उपनिबन्धक
जाखणीधार
24-Sep-2024

1. यह कि प्रथम पक्ष/पट्टेदाता/लीज दाता ने ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील-जाखणीधार, जिला-टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन-249123 के खतौनी खाता सं०-00053 में दर्ज खेत सं०-651 रक्वा 0.053 हे० याने 530 वर्ग मीटर पट्टेदाता/प्रथम पक्ष मालिक सहभूमिधर व कब्जेदार स्वामी है उक्त भूमि को नीचे दी गई शर्तों व निबन्धन के अनुसार उक्त भूमि को पट्टे पर देने के लिए सहमत है, उक्त भूमि 27 साल के पट्टे पर लेना स्वीकार कर लिया है तथा पट्टेदार उत्तराखण्ड वैकल्पिक ऊर्जा अभिकरण (UREDA) के द्वारा 200 कि०वा० सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्गत परियोजना आवंटन पत्र सं०-240/उरेडा मु०मं० सौर स्व०यो/2023-24 दिनांक 19.07.2024 के क्रम में 200 कि०वा० सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के प्रयोजन से उक्त भूमि को पट्टे पर ले रहा है।
2. यह कि पट्टा दिनांक 24.09.2024 से प्रारम्भ होकर 23.09.2051 याने 27 वर्ष के लिए रहेगा उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी पट्टेदार को उक्त भूमि की आवश्यकता होगी, तो आपसी समझौते पर पट्टा बढ़ाया जायेगा। पट्टेदार मु० 4200 रु० प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रतिवर्ष की रकम पर उक्त भूमि को पट्टा/किराये पर ले रहा है, यह किराये राशि 10 वर्ष होगी तथा 10 वर्ष के पश्चात् किराया पट्टा राशि 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रत्येक 10 वर्ष में वृद्धि की जायेगी, पट्टेदार उक्त भूमि/सम्पत्ति को इस अनुबन्ध के समाप्त होने के पश्चात् अर्थात् 27 वर्ष होने के पश्चात् फिर उपयोग के लिए चाहेंगे, तो प्रथम पक्ष/पट्टादाता की सहमति के उपरान्त कर सकेंगे। अन्यथा भूमि खाली की जायेगी।
3. यह कि दोनों पक्षों द्वारा उक्त पट्टे पर दी गई भूमि का वार्षिक किराया वर्तमान में 4200 रु० प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है, प्रथम 10 वर्ष के लिए 1,11,300 रु०, द्वितीय 10 वर्ष के लिए 1,22,430 रु० तथा अन्तिम 7 वर्ष के लिये 94,271.10 रु० याने कुल 27 वर्ष का किराया मु० 3,28,001.10 रु० तथा औसत वार्षिक किराया 12148.18 रु० होता है तथा प्रतिमाह औसत किराया 1012.34 रु० होता है।



बही संख्या 1 रजिस्ट्रीकरण संख्या 389 वर्ष 2024



दिल्ला देवी



Udit Koushik

उदित कौशिक



Vikram Singh

विक्रम सिंह



Sumit Saini

सुमित सैनी



प्रतिज्ञ एवं साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं। सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये हैं।

Sumit
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, जाखणीधार

24 Sep 2024

4. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि से सम्बन्धित कोई कर या अन्य परिभार समय-समय पर जो कि किसी भी अवधि के लिए देय होगा, पट्टेदार द्वारा अदा किया जायेगा, पट्टेदार अपने नाम से उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन, जल संयोजन व अन्य उपयोग के कनेक्शन इत्यादि व सौन्दर्यकरण करवा सकता है।
5. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि का पट्टेदार को वैधानिक रूप से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए जैसे चाहे इस्तेमाल, उपयोग, उपभोग करने का अधिकार होगा तथा उक्त भूमि पर पट्टेदार को किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का सामान आदि रखने किसी प्रकार का रथाई निर्माण तथा किसी भी प्रकार की लोडिंग, अनलोडिंग आदि करने का अधिकार होगा।
6. यह कि पट्टेदार को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त वैकल्पिक सोलर पावर प्लांट लगाये जाने हेतु 25 वर्ष के लिए स्वीकृति मिल चुकी है।
7. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार को पट्टा अनुबन्ध की अवधि के दौरान अनुबन्ध को ऋणदाता बैंक की अनुमति के बिना समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पट्टादाता उक्त भूमि को उक्त अवधि के दौरान विक्रय नहीं कर सकेंगे।
8. यह कि उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 1406/XVIII(II)2019-20(78)2018 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदार और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) की धारा-150(क) एवं धारा 156 का संशोधन अध्यादेश दिनांक 18.11.2019 के अनुसार भूमि लीज पर दिये जाने का प्राविधान किया गया है।
9. यह कि लीजशुदा भूमि का वार्षिक औसत किराया मु० 12148.18 रु० है तथा उक्त किराया के 6 गुना मु० 73,000 रु० पर निर्धारित स्टाम्प शुल्क मु० 1500 रु० अदा किया गया है।
10. यह कि इस पट्टे विलेख में बताये गये अनुसार पट्टादाता यह पुष्टि करता है कि पट्टेदार को परियोजना व इस पट्टे विलेख में दी गई जमीन के पट्टा अधिकारों को किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने व किसी भी सिक्क्यूरिटी/गिरवी रखने के लिये पट्टेदाता से अनुमति या अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने की कोई जरूरत नहीं होगी और इस पट्टे में





पट्टेदार के अधिकार एवं हित ऋणदाताओं के पक्ष में कर सकता है, जिनमें उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, हस्तांतरण, और नियुक्त सम्मिलित है, (परियोजना के लिये ऋणदाता और पट्टेदार इस परियोजना के लिये हासिल किये गये या हासिल किये जाने वाले ऋण के भुगतान के लिये एक सिक्युरिटी के रूप में रख सकेगा, हालांकि परियोजना के ऋणदाताओं या पट्टेदार का कोई भी अधिकार पट्टे की अवधि से अधिक नहीं होगा जब तक की दोनों द्वारा इसे विस्तारित करने के लिये लिखित में कोई घोषणा नहीं होती है,) पट्टेदाता परियोजना के लिए पट्टेदार के द्वारा लिये गये किसी भी ऋण के लिये जिम्मेदार नहीं होगा, पट्टेदार के पास भूमि पार्सल का स्वामित्व एवं स्वामित्व अधिकारों को गिरवी रखने का अधिकार नहीं है, परन्तु उसके पास भूमि पार्सल पर इस पट्टे के अधिकारों को गिरवी रखने का हक हासिल है, पट्टे की समाप्ति के उपरान्त पट्टेदार एवं उसके ऋणदाताओं का भूमि पार्सल पर कोई अधिकार नहीं होगा, भूमि पर बैंक से पट्टेदार ऋण ले सकता है।

11. यह कि पट्टेदाता के द्वारा उदित कौशिक, पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित भूमि के सापेक्ष उस पर प्रस्तावित/स्थापित 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र के विरुद्ध बैंक ऋण बकाया होने की अवधि तक या भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) विद्यमान रहने की अवधि तक, जो भी अधिक हो, किसी भी प्रकार का कोई अन्य ऋणभार (Encumbrance) पट्टेदाता के द्वारा नहीं लिया जायेगा।
12. यह कि पट्टेदाता एवं उदित कौशिक पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) ऋण के बकाया होने की तिथि तक उस बैंक, जिसके द्वारा उदित कौशिक को 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिये ऋण उपलब्ध कराया गया है, की सहमति के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता है। तथापि ऋणदाता बैंक के द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण के समाप्त हो जाने के उपरान्त यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) पट्टेदाता एवं उदित कौशिक की आपसी सहमति से समाप्त किया जा सकता है।

 १. ९
१३ मार्च



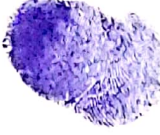
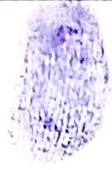
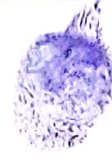
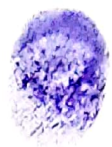
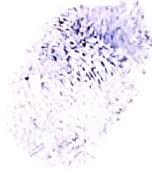
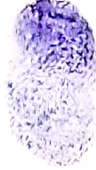
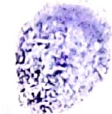
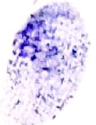
Handwritten signature and date: 10/11/2020

13. यह कि पट्टादाता एवं उदित कौशिक, पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) दिनांक 24.09.2024 से प्रारम्भ होकर 23.09.2051 याने 27 साल की अवधि तक वैद्य होगा एवं इसमें दी गयी विभिन्न शर्तें दोनों पक्षों पर लागू होंगी।
14. यह कि यदि ऋणदाता बैंक के द्वारा उदित कौशिक पट्टेदार को Defaulter घोषित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में ऋणदाता बैंक इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) को किसी अन्य पक्ष को नियमानुसार प्रतिस्थापित कर सकता है।
15. यह कि पट्टादाता का प्रस्तावित/स्थापित 200 कि०वा० क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों पर किसी भी प्रकार को कोई हक/अधिकार नहीं होगा।
16. यह कि पट्टादाता एवं उदित कौशिक, पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित विवरण संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है। उक्त भूमि की सीमायें निम्न से घिरी हुई हैं:-
पूर्व:- सोबनू की भूमि।
पश्चिम:-रास्ता।
उत्तर:- श्रीमती दिल्ला देवी की भूमि।
दक्षिण:- प्रमोद की भूमि।

 2. 6
दिल्ला देवी

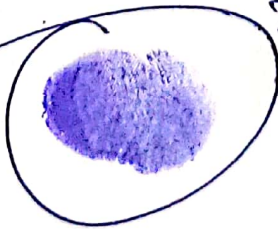


प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (श्रीमती दिल्पा देवी) की उंगलियों की छाप-

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों के निशान					

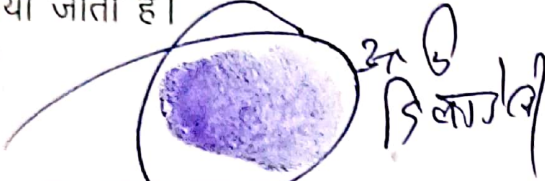
द्वितीय पक्ष/पट्टाग्रहीता की उंगलियों की छाप-

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों के निशान					

  १. ८
दिल्ली



अतः आज दिनांक 24.09.2024 को इस अनुबन्ध को करने वाले पट्टादाता/पट्टेदार निम्न गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके निष्पादित किया जाता है।

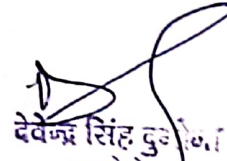

ह0 प्रथम पक्ष/पट्टादाता


ह0 द्वितीय पक्ष/पट्टेदार

रचियता

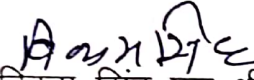
देवेन्द्र दुमोगा

एडवोकेट


देवेन्द्र सिंह दुमोगा

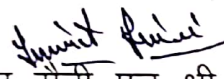
एडवोकेट
चेम्बर नं० 411, मो. - 9897501756
कोर्ट बंगला, जिला टिहरी
बेजी-UK-2234001, P-1149/92

गवाह

- 
1. बिक्रम सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह, निवासी-ग्राम-खान्दी, पट्टी-खास, तहसील जाखणीधार, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

आधार नं०-460529151389

Mob.9897501756

- 
2. सुमित सैनी पुत्र श्री सतीश कुमार, निवासी-85, निजामपुर, हरिद्वार जिला हरिद्वार उत्तराखण्ड।

आधार नं०- 278921295430

Mob. 9675988009

बही संख्या 1 जिल्द 66 के पृष्ठ 235 से 262 पर क्रमांक 389 पर आज दिनांक

24 Sep 2024 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

Haini
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक, जाखणीधार
24 Sep 2024

